न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 131/2016 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री गंगाराम पिता मोड़ा जी जिाट निवासी लदाना तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री रामचन्द्र पिता मोड़ा जी जाट निवासी लदाना तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता वरदा जी लोहार निवासी लदाना तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. तहसीलदार तहसील कार्यालय मावली तहसील मावली जिला उदयपुर
3. उप पंजीयक , उप पंजीयन कार्यालय मावली जिला उदयपुर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली दिनांक 27–10–2016 प्रकरण सं. 56/2012 वाद पत्र

———

उपस्थित :–1– श्री के. आर.डांगी अभिभाषक अपीलान्ट्स

2– श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1

2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं.–2 से 4

——————/——————

निर्णय **दिनांक 05–07–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा–88, 188 एवं 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लदाना की विवादित आराजी नंबर 1456 रकबा

4 बीघा 5 बिस्वा उसने दिनांक 23–5–1977 को पंजीकृत विक्रय पत्र से वरदा प्रतिवादी संख्या–1 के पिता से क्रय की। परन्तु उक्त भूमि उसके नाम नहीं चढ़ी। अभी भूमि वरदा के वारिस मोहनलाल प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज है। वादी ने इस भूमि को आबादान किया है। प्रतिवादी इसे बेचना चाहता है व दखलन्दाजी करता है। अतएव घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री दिलवाई जाय।

प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वरदा जी ने कोई भूमि विक्रय नहीं की तथा विक्रय किया भी नहीं जा सकता था, भूमि पर प्रतिवादी काबिज है। वादी स्वच्छ हाथों से नहीं आया है, भूमियां भू–दान यज्ञ बोर्ड (बोर्ड) की है जिसे कानूनन विक्रय नहीं किया जा सकता। विक्रय यदि है, तो भी अवैध है।

दौराने वाद उक्त जवाबदावे के बाद प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा दिनांक 6–4–2015 को एक आवेदन अन्तर्गत आदेश–7, नियम–11 जाब्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद भू–दान यज्ञ बोर्ड की भूमि जो कि प्रतिवादी के पिता से रजिस्टर्ड क्रय बताकर वादी अपीलान्ट द्वारा क्रय किया जाना बताया है, परन्तु वाद में कहीं भी भूमियों को भू–दान यज्ञ बोर्ड की होने का वर्णन नहीं कर तथ्यों को छुपाया गया है। आवेदक प्रतिवादी के पिता को भूमि बेचने का अधिकार नहीं था। विक्रय पत्र प्रारम्भतः अवैध एवं प्रभाव शून्य है।

उपरोक्त आवेदन का जवाब अपीलान्ट वादी द्वारा देकर कहा गया कि वह भूमि का पंजीकृत क्रेता है। वादी काबिज है। विक्रेता प्रतिवादी के पूर्वज ने कभी कोई एतराज नहीं किया। आवेदन खारिज किया जाय।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों का उक्त आवेदन सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 27–10–2016 से प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट का आवेदन स्वीकार कर वादी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15–11–2016 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री तुलसीराम डांगी ने

उपस्थिति दी तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3, 4 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय व विधि विरूद्ध है। दावे में ऐसा कोई तथ्य नहीं लिखा गया था, जिससे वाद विधि विरूद्ध हो। वादी ने अपने वाद में कही भी भूमि को भू–दान यज्ञ बोर्ड की होना नहीं माना। विक्रय पत्र पंजीकृत है। प्रतिवादी अपने पिता के विक्रय से स्टोप्ड है। तनकीयात बनाकर प्रकरण का निर्णय किया जाना चाहिये था। न्यायिक नजीरों पर भी विचार नहीं किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा अपने वाद में भूमियों को कहीं पर भी भू–दान यज्ञ बोर्ड की होना वर्णित नहीं किया है। जबकि उसके द्वारा ही पेश शुदा जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 में भूमियां भू–दान यज्ञ बोर्ड खातेदार मोहनलाल पिता वरदा अंकित है। अर्थात वादी ने जानबूझ कर न तो भू–दान यज्ञ बोर्ड की भूमियां होना वाद में वर्णित किया है, न ही भू–दान यज्ञ बोर्ड को पक्षकार बनाया है, अर्थात अपीलान्ट ने लेखन चातुर्य से विधि के उल्लंघन में तथ्यों को छुपाया है, अर्थात स्वच्छ हाथों से वह नहीं आया है तथा तथ्यों को छुपाकर वाद में तथ्यों का वर्णन नहीं कर वास्तविक तथ्यों के स्थान पर भ्रामक तथ्यों के आधार पर वाद पेश कर न्यायालय का क्षैत्राधिकार अर्जित किये जाने का प्रयास किया है, जो कदापि सद्भावी नहीं है। अपीलान्ट वादी को तथ्यों व रेकर्ड से परे जाकर वाद लेखन कर उस आधार पर वाद आधार पर ही अनावश्यक वादकरण निरन्तर किये जाने की अनुमति दिया जाना अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है, शेष विशेष रूप से तब जबकि

भू–दान यज्ञ बोर्ड अधिनियम की धारा–24 के तहत बोर्ड की भूमियों के विक्रय किये जाने बाबत विधिक निषेध के प्रावधान है। वादी द्वारा क्रय वर्ष 1977 में किये जाने के बाद 35 वर्षो बाद प्रारम्भतः विधि विरूद्ध विक्रय पत्र आधार पर जो वाद पेश किया है तथा जानबूझ कर विक्रय पत्र की अवैधानिकता को छुपाया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेचन के बाद अप्रासंगिक नजीरों के विवेचित करने के बाद वादी अपीलान्ट के वाद को वादी के तथ्यों के छुपाने व मूल वाद आधार विक्रय पत्र के विधि विरूद्ध होने के कारण विस्तृत आधारों पर जो वाद खारिज किया है, उसमें हम किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते।

अपीलान्ट द्वारा निम्नानुसार न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की है :–

1. **R B J 2009 Page 310 (H C)** :– वाद में तथ्य छुपाये है अतएव यह नजीर लागू नहीं होती।
2. **R R T 2011 (1) Page 427** :– धारा–188 R T A से संबंधित है जबकि विवादित, अपील घोषणा से संबंधित है, लागू नहीं होती।
3. **R R T 2016 (1) Page 174** :– नजीर संख्या 1 अनुसार लागू नहीं होती।
4. **R R T 2011 (2) Page 1203** :– नजीर संख्या 1 अनुसार लागू नहीं होती।
5. **R R T 2016 (1) Page 608** :– नजीर संख्या 1 अनुसार लागू नहीं होती।

उपरोक्तानुसार अपीलान्ट की पेश शुदा न्याय नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–10–2016 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05–07–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

1–श्री गंगाराम पिता मोड़ा जी निवासी लदाना तहसील मावली जिला उदयपुर अन्य–1 बनाम **1– श्री मोहनलाल पिता वरदा जी लोहार निवासी लदाना तह0 मावली जिला उदयपुर व सरकार**

अपील नं0 **131/2016** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **मावली .....** मुकाम मुक्र्खे.....**27**.....माह.....**10**..... **2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**05**..... माह .....**07**..... सन् **2018....** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी....**श्री के. आर.डांगी** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व ... .**श्री तुलसीराम डांगी**..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–10–2016 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**05**..... माह ...**07**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।